न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 30/2022 **GCMS 2022/52**

वादीगण

1. झूंताराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी चोटियों वाली कोठी, डीडवाना रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चुन्नीलाल पुत्र मांगीलाल
2. भंवराराम पुत्र गंगाराम
3. भोमाराम पुत्र गंगाराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र लिछमणराम
5. तुलसीराम पुत्र लिछमणराम
6. सुवादेवी पत्नी लिछमणराम
7. सोहनलाल पुत्र लिछमणराम
8. बरजीदेवी पत्नी पेफाराम
9. तेजाराम पुत्र पेफाराम कुमावत निवासीगण चोटियों वाली कोठी, डीडवाना रोड़ कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
10. सुनिल कुमार पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा— बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 10 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 05/04/2022

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 1.37 हैक्टर में वादी व प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, एवं कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 रकबा 4.09 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी का आया हुआ है जिसमें वादी का 2022707/8180000 हिस्सा आया हुआ है एवं ग्राम उगरपुरा के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

659/464 रकबा 1.03 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी का आया हुआ है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 9 उपरोक्त आराजीयात में अपने हक हिस्से अनुसार अलग अलग काबिज है एवं मौके पर आपसी सुविधा अनुसार बंटवारा कर काबिज एवं काश्त करते आ रहे है, वादी का कब्जा काश्त वर्तमान में ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 1.37 हैक्टर पर है वादी के कब्जे अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया है जो इस वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट "क" है जो इस वाद पत्र का भाग है, वादग्रस्त खसरो में वादी सहखातेदार काश्तकार है एवं बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है, वादी ने प्रतिवादीगण सहखातेदारान को भू–विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने से इन्कार हो गये एवं धमकिया देने लगे कि बिना विधिवत बंटवारा के वादग्रस्त भूमि को बेचान कर देंगे एवं बंटवारा से इन्कार करने पर वादी को यह वाद लाना लाजमी हुआ। वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 1.37 हैक्टर जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, एवं कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 रकबा 4.09 हैक्टर जिसमें वादी का 2022707/8180000हिस्सा, एवं ग्राम उगरपुरा के खसरा नम्बर 659/464 रकबा 1.03 हैक्टर जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है, वादग्रस्त आराजियात में वादी की कब्जा काश्त कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 व 9/1 कुल रकबा 1.37 हैक्टर है इसी माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर (नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " के अनुसार) वादी की अलग होल्डिंग कायम करवाकर वादी के नाम दर्ज फरमाई जावे एवं अन्य वादग्रस्त आराजियात कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 व ग्राम उगरपुरा के खसरा नम्बर 659/464 में से तमाम राईट्स ऑफ रेकर्ड से वादी का नाम हटाया जावें। प्रतिवादी सं. 11 को तहरीर जारी फरमाई जावें कि डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 एवं 11 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 10 ने उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा दिनॉक 09.03.2022 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 में से 0.0268 हैक्टर भूमि नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम पुत्र गंगाराम से 14.02.2018 को जरिये बेचान दस्तावेज से क्रय की गई, जिसका बंटवारा चाहा गया है, प्रतिवादी सं.9 द्वारा दिनॉक 14.03.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार विभाजन चाहा गया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 द्वारा निम्नवत राजीनामा दिनॉक 14.03.2022 को प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा चाहा गया है :-

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी झुताराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1082 9/1	0.01 हैक्टर 1.36 हैक्टर	सम्पूर्ण सम्पूर्ण	
			कुल	**1.37 हैक्टर**	

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
2	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7204 हैक्टर 0.7862 हैक्टर	4 6
			कुल	**1.5066 हैक्टर**	
3	प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.5101 हैक्टर 0.1917 हैक्टर	10 12
			कुल	0.7018	
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659/464	1.03 हैक्टर	0.5385 हैक्टर 0.3377 हैक्टर	13 15
			कुल	**0.8762 हैक्टर**	
4	प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी, सोहनराम उर्फ सोहनलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7548 हैक्टर 0.8232 हैक्टर	5 7
			कुल	**1.5780 हैक्टर**	

उपखण्ड अधिकारी

5	प्रतिवादी सं. 8 बरजी देवी	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर 0.0446 हैक्टर	2 9
			कुल	**0.0892 हैक्टर**	
6	प्रतिवादी सं. 10 सुनिल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	3
7	प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	8

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
8	प्रतिवादी सं. 9 तेजाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0268 हैक्टर	1
9	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल 1/3 प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम 1/3 व प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी सोहनलाल 1/3	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0984 हैक्टर	11
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659/464	1.03 हैक्टर	0.1538 हैक्टर	14

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य आपसी बंटवारा सहमति से कर लिया है जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 2 का वास्तविक नाम भंवरलाल है जो कि प्रतिवादी सं. 2 के समस्त दस्तावेजात में दर्ज है, परन्तु त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड में भंवराराम अंकित कर दिया है जिसे दुरूस्त कर भंवरलाल पुत्र गंगाराम किया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 का वास्तविक नाम सोहनलाल है जो कि प्रतिवादी सं. 7 के समस्त दस्तावेजात में सोहनलाल दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश सोहनराम अंकित हो गया है जिसे दुरुस्त कर सोहनलाल पुत्र लिछमण राम किया जाना आवश्यक है। माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे एवं नजरी नक्शा व राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा चालू जमाबंदी ग्राम उगरपुरा के खाता संख्या 48 की नकल सम्वत 2075–2078 प्रस्तुत की, तथा ग्राम कुचामनसिटी के खाता संख्या 513, 594 सम्वत 2074–2077 की प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से किसी प्रकार का शपथ–पत्र एवं बयान दर्ज नही करवाये गये।

वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादी की भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसका उन्होने विभाजन चाहा है, सहखातेदारान/प्रतिवादीगण 2 ता 10 ने उपस्थित होकर लिखित में दिनॉक 14.03.2022 को राजीनामा एवं नजरी नक्शा में पक्षकारान का हिस्सा अंकित करते हुए प्रस्तुत किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहा, परन्तु उसका भी हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित किया गया है जिसको भी उपरोक्तानुसार भूमि बंटवारा में दिया जाना बताया गया है। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वादी के प्रकरण में बंटवारा स्कीम नही मंगवाई जाकर नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जा सकता है। अतः वाद वादी एंव प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम रूप से नजरी नक्शा अनुसार काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 1.37 हैक्टर, ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 रकबा 4.09 हैक्टर, एवं ग्राम उगरपुरा के खसरा नम्बर 659/464 रकबा 1.03 हैक्टर में नजरी नक्शा एवं निम्नवत टेबल में अंकित हक–हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 10 का नाम हटाया जाता है, नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा :–

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी झुताराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1082 9/1	0.01 हैक्टर 1.36 हैक्टर	सम्पूर्ण सम्पूर्ण	
			कुल	1.37 हैक्टर	

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
2	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7204 हैक्टर 0.7862 हैक्टर	4 6
			कुल	**1.5066 हैक्टर**	
3	प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.5101 हैक्टर 0.1917 हैक्टर	10 12
			कुल	0.7018	
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659 / 464	1.03 हैक्टर	0.5385 हैक्टर 0.3377 हैक्टर	13 15
			कुल	**0.8762 हैक्टर**	
4	प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी, सोहनराम उर्फ सोहनलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7548 हैक्टर 0.8232 हैक्टर	5 7
			कुल	**1.5780 हैक्टर**	
5	प्रतिवादी सं. 8 बरजी देवी	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर 0.0446 हैक्टर	2 9
			कुल	**0.0892 हैक्टर**	
6	प्रतिवादी सं. 10 सुनिल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	3
7	प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	8

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
8	प्रतिवादी सं. 9 तेजाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0268 हैक्टर	1
9	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल 1/3 प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम 1/3 व प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी सोहनलाल 1/3	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0984 हैक्टर	11
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659 / 464	1.03 हैक्टर	0.1538 हैक्टर	14

नजरी नक्शा अनुसार एवं उक्त टेबल अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 05/04/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 30/2022 **GCMS 2022/52**

वादीगण

1. झूंताराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी चोटियों वाली कोठी, डीडवाना रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चुन्नीलाल पुत्र मांगीलाल
2. भंवराराम पुत्र गंगाराम
3. भोमाराम पुत्र गंगाराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र लिछमणराम
5. तुलसीराम पुत्र लिछमणराम
6. सुवादेवी पत्नी लिछमणराम
7. सोहनलाल पुत्र लिछमणराम
8. बरजीदेवी पत्नी पेफाराम
9. तेजाराम पुत्र पेफाराम कुमावत निवासीगण चोटियों वाली कोठी, डीडवाना रोड़ कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
10. सुनिल कुमार पुत्र बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.36 हैक्टर कुल रकबा 1.37 हैक्टर, ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1083 रकबा 4.09 हैक्टर, एवं ग्राम उगरपुरा के खसरा नम्बर 659/464 रकबा 1.03 हैक्टर में नजरी नक्शा एवं निम्नवत टेबल में अंकित हक–हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 10 का नाम हटाया जाता है, नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा :–**

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी झुताराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1082 9/1	0.01 हैक्टर 1.36 हैक्टर	सम्पूर्ण सम्पूर्ण	
			कुल	1.37 हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
2	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7204 हैक्टर 0.7862 हैक्टर	4 6
			कुल	1.5066 हैक्टर	
3	प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.5101 हैक्टर 0.1917 हैक्टर	10 12
			कुल	0.7018	
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659/464	1.03 हैक्टर	0.5385 हैक्टर 0.3377 हैक्टर	13 15
			कुल	0.8762 हैक्टर	
4	प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी, सोहनराम उर्फ सोहनलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.7548 हैक्टर 0.8232 हैक्टर	5 7
			कुल	1.5780 हैक्टर	
5	प्रतिवादी सं. 8 बरजी देवी	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर 0.0446 हैक्टर	2 9
			कुल	0.0892 हैक्टर	
6	प्रतिवादी सं. 10 सुनिल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	3
7	प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0446 हैक्टर	8

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
8	प्रतिवादी सं. 9 तेजाराम	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0268 हैक्टर	1
9	प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम उर्फ भंवरलाल 1/3 प्रतिवादी सं. 3 भोमाराम 1/3 व प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रामेश्वरलाल, तुलसीराम, सुवा देवी सोहनलाल 1/3	कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नं. 1083	4.09 हैक्टर	0.0984 हैक्टर	11
		ग्राम उगरपुरा के खसरा नं. 659/464	1.03 हैक्टर	0.1538 हैक्टर	14

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नजरी नक्शा अनुसार एवं उक्त टेबल अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत........

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

मुकाती
बरजी
मूलाराम
भंवरलाल
तुलछीराम
सोहनलाल
उपखण्ड अधिकारी